

कार्यालय : वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र०, झांसी ।
पत्रांक- 307 /33-1 झांसी, दिनांक, जुलाई 23, 2021 ।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ ।

विषय- जनपद झांसी में एरच-गुरसराय-मऊरानीपुर राज्य मार्ग संख्या-31 के कि०मी० संख्या-16 से 27 के मध्य में दायी पटरी पर उ०प्र० जल निगम द्वारा नगर पेयजल पुर्नगठन योजना के अन्तर्गत पाईप लाईन विछाये जाने में प्रभावित 0.6540 हे० संरक्षित वन भूमि के प्रत्यावर्तन की अनुपालन आख्या ।

संदर्भ - 1. वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उ०प्र० शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-2672/81-2-2020-800 (121)/2020, दिनांक 16.02.2021 ।
2. आपका पत्र संख्या- 2054/11-सी-एफ०पी०/यू०पी०/वाटर-45140/2020, दिनांक 18.02.2021 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण, प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी के संदर्भित पत्र-210/15-1, दिनांक 22.07.2021 द्वारा प्रेषित उपरोक्त विषयक प्रकरण में उत्तर प्रदेश शासन के संदर्भित पत्र दिनांक 18.02.2021 द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दु संख्या- 1 से 18 तक/बचनवद्धता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त अनुपालन आख्या तीन प्रतियों संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार तीन प्रतियों में।

भवदीय
(पी०पी०सिंह)

मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

प्र०सं०- / समदिनांक।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक महोदय, बुन्देलखण्ड जोन, उ०प्र० झांसी को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी को उनके संदर्भित पत्र दिनांक 22.07.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पी०पी०सिंह)

मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 210 /15-1 दिनांक, झांसी, छत्ता, 22-7-2021

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त,
उ०प्र० झांसी।

विषय :- जनपद झांसी में एरच-गुरसराय-मऊरानीपुर राज्य मार्ग संख्या-31 के कि०मी० संख्या-16 से 27 तक दांयी पटरी पर उ०प्र० जल निगम द्वारा नगर पेयजल पुनर्गठन योजना पाइप लाइन बिछाये जाने में प्रभावित 0.654 हे० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी कार्य की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- उ०प्र० शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ के पत्र संख्या-2672/81-2-2020-800 (121)/2020, दिनांक 16.02.2021 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ का पत्र संख्या-2054/11-सी-एफ०पी०/यू०पी०/वाटर/45140/2020, दिनांक 18.02.2021 एवं कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम, ग्वालियर रोड, झांसी का पत्र संख्या-64/यो०सामान्य/06, दिनांक 05.05.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में उ०प्र० शासन के संदर्भित पत्र के अनुपालन में अधिशाषी अभियन्ता निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम, ग्वालियर रोड, झांसी द्वारा अपने संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या बिन्दु संख्या-01 से 18 तक की अनुपालन आख्या बिन्दुवार अनुपालन आख्या/बचनबद्धता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत की गयी है, जिसकी अनुपालन बिन्दुवार निम्नवत् है :-

Sr. No.	Conditions	Status of Compliance
1	प्रयोक्ता एजेन्सी सम्बन्धित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी सम्बन्धित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। प्रस्तुत बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
2	प्रयोक्ता एजेन्सी पाइप लाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे।	प्रयोक्ता एजेन्सी पाइप लाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे। प्रस्तुत बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
3	प्रयोक्ता एजेन्सी पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज 2.00 मी० गहराई, 1.00 मी० चौड़ाई से अधिक न होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज 2.00 मी० गहराई, 1.00 मी० चौड़ाई से अधिक न होगी। प्रस्तुत बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो। प्रस्तुत बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
5	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। प्रस्तुत बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	प्रयोक्ता एजेन्सी वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी। प्रस्तुत बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
7	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी। प्रस्तुत बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

8	प्रयोक्ता एजेन्सी भूमि का सरफेस राइट (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् रहेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी भूमि का सरफेस राइट (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् रहेगा। प्रस्तुत बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।												
9	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी० क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी० क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी। प्रस्तुत बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। प्रयोक्ता एजेन्सी निम्न बांछित धनराशि ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा कराके धनराशि का चालान संख्या, यू०टी०आर० नम्बर, दिनांक सहित निम्न प्रकार प्रस्तुत की गयी है। <table><tr><th>राशि संख्या</th><th>मद</th><th>धनराशि</th><th>जमा की गयी धनराशि का चालान सं. यू०टी०आर० नं० व दिनांक</th></tr><tr><td>राशि संख्या-08</td><td>एन०पी०वी० (नेट वर्तमान मूल्य)</td><td>409404.00</td><td>UTIBRS202103 2608364441 Date 25.03.2021</td></tr><tr><td></td><td>कुल योग</td><td>409404.00</td><td></td></tr></table>	राशि संख्या	मद	धनराशि	जमा की गयी धनराशि का चालान सं. यू०टी०आर० नं० व दिनांक	राशि संख्या-08	एन०पी०वी० (नेट वर्तमान मूल्य)	409404.00	UTIBRS202103 2608364441 Date 25.03.2021		कुल योग	409404.00	
राशि संख्या	मद	धनराशि	जमा की गयी धनराशि का चालान सं. यू०टी०आर० नं० व दिनांक											
राशि संख्या-08	एन०पी०वी० (नेट वर्तमान मूल्य)	409404.00	UTIBRS202103 2608364441 Date 25.03.2021											
	कुल योग	409404.00												
10	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। प्रस्तुत बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।												
11	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो। प्रस्तुत बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।												
12	प्रयोक्ता एजेन्सी भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या-जे०-11013/41/2006-IA-II(1), दिनांक 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरण अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।	प्रयोक्ता एजेन्सी भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या-जे०-11013/41/2006-IA-II(1), दिनांक 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरण अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है। प्रस्तुत बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।												
13	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। प्रस्तुत बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।												
14	प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-11-9/98-एफसी, दिनांक	प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये												

	08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा फाइल में (shp) दर्शाया गया। प्रस्तुत बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।	दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा फाइल में (shp) दर्शाया गया। प्रस्तुत बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
15	प्रयोक्ता ऐजेन्सी यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चत न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।	प्रयोक्ता ऐजेन्सी यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चत न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है। प्रस्तुत बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
16	प्रयोक्ता ऐजेन्सी समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	प्रयोक्ता ऐजेन्सी समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। प्रस्तुत बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
17	प्रयोक्ता ऐजेन्सी परियोजना में 4 इंच से अधिक व्यास का पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्ताविक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा।	प्रयोक्ता ऐजेन्सी परियोजना में 4 इंच से अधिक व्यास का पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्ताविक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा। प्रस्तुत बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
18	प्रयोक्ता ऐजेन्सी उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	प्रयोक्ता ऐजेन्सी उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा। प्रस्तुत बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
I	C.A Amount as per proposal	NIL
II	C.A. amount deposited	NIL
III	Difference in amount	NIL
IV	Reason for difference	NIL
V	NPV amount as per proposal	409404.00
VI	NPV amount deposited	409404.00
VII	Penalty for Violation of FCA-1980	NIL
VIII	Reason for difference	NIL
IX	Any other amount deposited (complete details be provided)	NIL
X	CAMPA confirmation	deposited in U.P. CAMPA

उपरोक्त सभी शर्तों की परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपरोक्तानुसार संलग्न कर प्रस्तुत किये हैं, जिसमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी करने हेतु संस्तुति के साथ अनुपालन आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु चार प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या 210 /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके संदर्भित पत्र के अनुपालन में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

To be Verified

: This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.

Verified

: This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.

Challan Generated

: This icon shows that the challan has been generated.

Unpaid

: This icon shows that the payment yet to be made.

Paid

: This icon shows that the payment has been made.

☒ Proposals received on or after 15th July 2014 ☐ All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region : Lucknow

Select State : Uttar Pradesh

Select User Agency : Select

Online Help/Query

☐ Paid ☐ Unpaid ☒ All

Enter value for Search : 45140

SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UP/WATER/45140/2020 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/WATER/45140/2020) Protected Forest Land Proposed to be diverted for laying of Drinking Water Pipeline under Gurusarai-Garautha Water Supply Reorganization Scheme along Eradh-Gurusarai(Mauranpur)Road in Km.16.00 to 27.00 Tehsil:Garautha,Dist:Jhansi	WATER451402020526	16 Feb 2021	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 409404/- Total :409404/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 12 Mar 2021 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 18 Mar 2021 Transaction Date 26 Mar 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/311121228121225KP1demandmauranipur.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=WATER451402020526)



(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



(HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)



(HTTPS://DATA.GOV.IN/)



(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)



(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)



(HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India

Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड

उ० प्र० जल निगम ग्वालियर रोड झाँसी (उ०प्र०)।

Email Add.- eecdupjnjhansi@gmail.com, Ph. (O) 0510-2330691,

पत्रांक
सेवा में,

1203/ कार्य-36 / 55

दिनांक- 20/07/2021

विषय :-

प्रभागीय वनाधिकारी,
झाँसी वन प्रभाग,
झाँसी।

जनपद-झाँसी में एरच-गुरुसराय-मउरानीपुर राज्य मार्ग संख्या-31 के किमी० संख्या-16 से 27 के मध्य में दांयी पटरी पर उ०प्र० जल निगम द्वारा नगर पेयजल पुर्नगठन योजना के अन्तर्गत पाइप लाईन बिछाय जाने में प्रभावित 0.654 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी कार्य की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ का पत्रांक संख्या-2672/81-2-2020- 800 (121)/2020 दिनांक 16.02.2021 एवं 3420/15-1, दिनांक 25 जून, 2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ में वर्णित आपके पत्रांक 3420/15-1, दिनांक 25 जून, 2021 के अनुपालन में शर्त संख्या 12, 14 व 15 के बचनवद्धता प्रमाण पत्र 05-05 प्रतियों में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार। (05-05 प्रतियों में)

संख्या एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री सी०के० त्रिपाठी, सहायक अभियन्ता।
- 2- श्री विजेन्द्र जोशी, जूनियर इंजीनियर।


(विजेन्द्र जोशी)
जूनियर इंजीनियर
निर्माण खण्ड
उ०प्र० जल निगम, झाँसी

भवदीय



(रणविजय सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

(रणविजय सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड
उ०प्र० जल निगम, झाँसी।

अधिशासी अभियन्ता

उ०प्र० जल निगम



कार्यभार हस्तान्तरण प्रमाण पत्र

1. प्रथम नियुक्ति
2. स्थानान्तरण
3. पदोन्नति
4. त्याग पत्र
5. सेवा मुक्त
6. अवकाश ग्रहण पूर्व/पश्चात्

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अंचल कुमार गुप्ता, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम, झॉसी का स्थानान्तरण प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ के झाप संख्या 626/प्र-1/2021 दिनांक 23.06.2021 के द्वारा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उर्ई खण्ड, उ०प्र० जल निगम, उर्ई में हो जाने के फलस्वरूप अपना कार्यभार अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम, झॉसी के पद से आज दिनांक 30.06.2021 की अपरान्ह में हस्तान्तरित किया। कार्यभार हस्तान्तरण में लगा समय नीचे अंकित है।

कार्यभार हस्तान्तरण के प्रारम्भ की तिथि 30.06.2021 अपरान्ह

कार्यभार हस्तान्तरण के समापन की तिथि 30.06.2021 अपरान्ह

(अंचल कुमार गुप्ता)
कार्यमुक्त अधिकारी
30.6.21

(रणविजय सिंह)
कार्यग्राही अधिकारी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम, झॉसी।

दिनांक :- 30-6-21

- पत्रांक 1064 / अधि-1 / 37
- 1- निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
 - 2- मुख्य अभियन्ता (अ-2-1), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
 - 3- मुख्य अभियन्ता (कानपुर क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम, कानपुर।
 - 4- सचिव (प्रशासन), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
 - 5- अधीक्षण अभियन्ता, पंचम मण्डल, उ०प्र० जल निगम, झॉसी को 6 प्रतियों में
 - 6- श्री अंचल कुमार गुप्ता, सहायक अभियन्ता की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

(विजेंद्र जोशी)
जुनियर इंजीनियर
निर्माण खण्ड
उ०प्र० जल निगम, झॉसी

(रणविजय सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड
उ०प्र० जल निगम, झॉसी।

अमेसित
(वी०के० मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
झॉसी वन प्रभाग, झॉसी।

अधिशासी अभियन्ता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड

उ० प्र० जल निगम ग्वालियर रोड झांसी (उ०प्र०)।

Email Add.- eecdupjnjhansi@gmail.com, Ph. (O) 0510-2330691,

पत्रांक
सेवा मे,

०५ / गी० सामान्य / ०६ दिनांक- ०५/०५/ 2021

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग,
झांसी।

विषय:-

जनपद-झांसी में एरच-गुरुसराय-मउरानीपुर राज्य मार्ग संख्या-31 के किमी० संख्या-16 से 27 के मध्य में दांयी पटरी पर उ०प्र० जल निगम द्वारा नगर पेयजल पुर्नगठन योजना के अन्तर्गत पाइप लाईन बिछाय जाने में प्रभावित 0.654 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी कार्य की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ का पत्रांक संख्या-2672/81-2-2020 -800 (121)/2020 दिनांक 16.02.2021

क्रम संख्या	शर्तें	अनुपालन की स्थिति
1	सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	शर्त संख्या 1, के अनुपालन में उ०प्र० जल निगम झांसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।
2	पाइपलाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे।	शर्त संख्या 2, के अनुपालन में उ०प्र० जल निगम झांसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि पाइपलाइन/ मार्गों/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे - किनारे ही बिछाये जायेंगे।
3	पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज 2.00मी० गहराई 1.00मी० चौड़ाई से अधिक न होगी।	शर्त संख्या 3, के अनुपालन में उ०प्र० जल निगम झांसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज 2.00मी० गहराई 1.00मी० चौड़ाई से अधिक नहीं की जाएगी।
4	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गई ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा की भू-क्षरण की सम्भावना न हो।	शर्त संख्या 4, के अनुपालन में उ०प्र० जल निगम झांसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि उ०प्र० जल निगम झांसी द्वारा खोदी गई ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट किया जायेगा की भू-क्षरण की सम्भावना नहीं होगी।
5	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।	शर्त संख्या 5, के अनुपालन में उ०प्र० जल निगम झांसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि उ०प्र० जल निगम झांसी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
6	वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	शर्त संख्या 6, के अनुपालन उ०प्र० जल निगम झांसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावित वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में उ०प्र० जल निगम झांसी द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।
7	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी	शर्त संख्या 7, के अनुपालन में उ०प्र० जल निगम झांसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि उ०प्र० जल निगम झांसी द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ले ली जायेगी।

(विजेन्द्र जोशी)
जूनियर इंजीनियर
निर्माण खण्ड
उ०प्र० जल निगम, झांसी

8	भूमि का सरफेस राइट (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा।	शर्त संख्या 8 के अनुपालन में उ०प्र० जल निगम झांसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस राइट (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा।
9	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management And Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 9, के अनुपालन में Online, forest clearance.nic.in पर e-payment portal के माध्यम से उ०प्र० जल निगम झांसी द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० सं०-566 एवं भारत सरकार के पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) उ०प्र०, एन०ई०एफ०टी० के द्वारा कैम्पा, खाता सं०-150905345140526 आई० एफ० एस० सी० कोड- CORP0000371, "कार्पोरेशन बैंक, लोधी काम्पलेक्स ब्रान्च, ब्लाक-11, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, फेस-1, लोधी रोड, नई दिल्ली के पक्ष में निम्न प्रकार प्रेषित कर दी गयी है।
10	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।	शर्त संख्या 10, के अनुपालन में उ०प्र० जल निगम झांसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि उ०प्र० जल निगम झांसी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।
11	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	शर्त संख्या 11, के अनुपालन में उ०प्र० जल निगम झांसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि उ०प्र० जल निगम झांसी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स तथा कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है।
12	भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या-J- 11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति / अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।	शर्त संख्या 12, के अनुपालन में पर्यावरणीय अनापत्ति अनुमोदन प्रस्तावित परियोजना में लागू नहीं है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा की वनाधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।	शर्त संख्या 13, के अनुपालन में उ०प्र० जल निगम झांसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न कर दिया जायेगा प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।
14	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।	शर्त संख्या 14, के अनुपालन में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र जिसमें वन सीमाओं का विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया है उसे प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।


 (विजेंद्र जोशी)
 जूनियर इंजीनियर
 निर्माण खण्ड
 जल निगम, झांसी

15	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायलय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।	शर्त संख्या 15, के अनुपालन में प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित नहीं है तो प्रस्तावित परियोजना में मा0 उच्चतम् न्यायलय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
16	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	शर्त संख्या 16, के अनुपालन में उ0प्र0 जल निगम झांसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
17	परियोजना में 4 इंच से अधिक व्यास का पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किया जाएगा।	शर्त संख्या 17, के अनुपालन में उ0प्र0 जल निगम झांसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावित परियोजना में 4 इंच से अधिक व्यास का पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान कर दिया गया है।
18	उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायलयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	शर्त संख्या 18, के अनुपालन में उ0प्र0 जल निगम झांसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायलयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन उ0प्र0 जल निगम झांसी द्वारा किया जायेगा।

भवदीय

(हस्ताक्षर)
(ए.के. गुप्ता)

अधिशाली अभियन्ता

संख्या एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

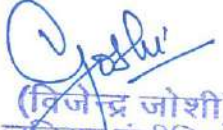
- 1— अधीक्षण अभियन्ता, पंचम मण्डल, उ0प्र0 निगम, झांसी।
- 2— इं. सी.के. त्रिपाठी, सहायक अभियन्ता।
- 3— इं. विजेन्द्र जोशी, जूनियर इंजीनियर।

(हस्ताक्षर)
(विजेन्द्र जोशी)
जूनियर इंजीनियर
निर्माण खण्ड
उ0प्र0 जल निगम, झांसी

(हस्ताक्षर)
अधिशाली अभियन्ता

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के उलंघन सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग उ०प्र० जल निगम झांसी द्वारा नगर पेयजल पुर्नगठन योजना के अन्तर्गत एरच-गुरुसराय-मउरानीपुर राज्य मार्ग संख्या-31 के किमी० संख्या-16 से 27 के मध्य में दांयी पटरी पर, जनपद-झांसी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेयजल पाइप लाईन बिछाने हेतु पाइप लाईन बिछाने हेतु 0.654 हे० वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत उपरोक्त शर्तों का पालन किया जायेगा।

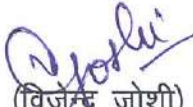

(विजेन्द्र जोशी)
जूनियर इंजीनियर
निर्माण खण्ड
उ०प्र० जल निगम, झांसी


(ए० क० गुप्ता)
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, उ०प्र०
जल निगम, झांसी


वी०के० मिश्र
प्रभारित वनाधिकारी
& हाँपी वन प्रभाग झांसी
वन प्रभाग, झांसी

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग उ०प्र० जल निगम झांसी द्वारा नगर पेयजल पुर्नगठन योजना के अन्तर्गत एरच-गुरुसराय-मउरानीपुर राज्य मार्ग संख्या-31 के किमी० संख्या-16 से 27 के मध्य में दांयी पटरी पर, जनपद-झांसी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेयजल पाइप लाइन बिछाने हेतु उ०प्र० जल निगम वचनबद्ध है कि सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।

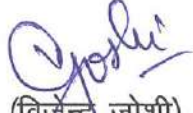

(विजेंद्र जोशी)
जूनियर सिविल इंजीनियर
निर्माण खण्ड
उ०प्र० जल निगम, झांसी

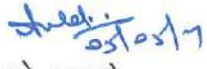

(ए.के. गुप्ता)
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड
उ०प्र० जल निगम, झांसी


(वी०के० मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
झांसी वन प्रभाग, झांसी

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग उ०प्र० जल निगम झांसी द्वारा नगर पेयजल पुर्नगठन योजना के अन्तर्गत एरच-गुरुसराय-मउरानीपुर राज्य मार्ग संख्या-31 के किमी० संख्या-16 से 27 के मध्य में दांयी पटरी पर, जनपद-झांसी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेयजल पाइप लाइन बिछाने हेतु उ०प्र० जल निगम वचनबद्ध है कि पाइपलाइन/मार्गों/सड़कों /वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे।

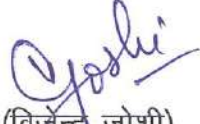

(विजेन्द्र जोशी)
जूनियर इंजीनियर
(विजेन्द्र जोशी)
निर्माण खण्ड
जूनियर इंजीनियर
उ०प्र० जल निगम, झांसी
उ०प्र० जल निगम, झांसी

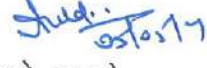

(ए.के. गुप्ता)
अधिशाली अभियन्ता
(ए.के. गुप्ता)
निर्माण खण्ड
उ०प्र० जल निगम, झांसी
निर्माण खण्ड, उ०प्र०
जल निगम, झांसी


अग्रसित
(वी०के० मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
झांसी वन प्रभाग, झांसी

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग उ०प्र० जल निगम झांसी द्वारा नगर पेयजल पुर्नगठन योजना के अन्तर्गत एरच-गुरुसराय-मउरानीपुर राज्य मार्ग संख्या-31 के किमी० संख्या-16 से 27 के मध्य में दांयी पटरी पर, जनपद-झांसी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेयजल पाइप लाइन बिछाने हेतु उ०प्र० जल निगम वचनबद्ध है कि पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज 2.00मी० गहराई 1.00मी० चौड़ाई से अधिक नहीं की जाएगी।

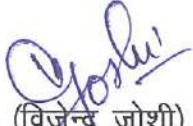

(विजेन्द्र जोशी)
जूनियर इंजीनियर
निर्माण खण्ड
उ०प्र० जल निगम, झांसी


(ए.के. गुप्ता)
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड
उ०प्र० जल निगम, झांसी।
निर्माण खण्ड, उ०प्र०
जल निगम, झांसी


(वी०के० मिश्र)
प्रशासीय वनाधिकारी,
झांसी वन प्रभाग, झांसी

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग उ०प्र० जल निगम झांसी द्वारा नगर पेयजल पुर्नगठन योजना के अन्तर्गत एरच-गुरुसराय-मउरानीपुर राज्य मार्ग संख्या-31 के किमी० संख्या-16 से 27 के मध्य में दांयी पटरी पर, जनपद-झांसी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेयजल पाइप लाइन बिछाने हेतु उ०प्र० जल निगम वचनबद्ध है कि उ०प्र० जल निगम द्वारा खोदी गई ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट किया जायेगा की भू-क्षरण की सम्भावना नहीं होगी।

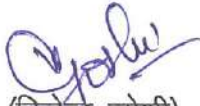

(विजेन्द्र जोशी)
जूनियर इंजीनियर
निर्माण खण्ड
उ०प्र० जल निगम, झांसी


(ए.के. गुप्ता)
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड
उ०प्र० जल निगम, झांसी


(वी०के० मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
झांसी वन प्रभाग, झांसी

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग उ०प्र० जल निगम झांसी द्वारा नगर पेयजल पुर्नगठन योजना के अन्तर्गत एरच-गुरुसराय-मउरानीपुर राज्य मार्ग संख्या-31 के किमी० संख्या-16 से 27 के मध्य में दांयी पटरी पर, जनपद-झांसी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेयजल पाइप लाइन बिछाने हेतु उ०प्र० जल निगम वचनबद्ध है कि उ०प्र० जल निगम द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।


(विजेन्द्र जोशी)
जूनियर इंजीनियर
(विजेन्द्र जोशी)
निर्माण विभाग
उ०प्र० जल निगम, झांसी
उ०प्र० जल निगम, झांसी

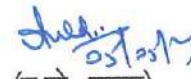

(ए.के. गुप्ता)
अधिशारी अभियन्ता
(ए.के. गुप्ता)
अधिशारी अभियन्ता
उ०प्र० जल निगम, झांसी।
जल निगम, झांसी


(वी०के० मिश्र)
प्रशासीय वनाधिकारी,
झांसी वन प्रभाग, झांसी

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग उ०प्र० जल निगम झाँसी द्वारा नगर पेयजल पुर्नगठन योजना के अन्तर्गत एरच-गुरुसराय-मउरानीपुर राज्य मार्ग संख्या-31 के किमी० संख्या-16 से 27 के मध्य में दांयी पटरी पर, जनपद-झाँसी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेयजल पाइप लाइन बिछाने हेतु उ०प्र० जल निगम वचनबद्ध है कि प्रस्तावित वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में उ०प्र० जल निगम द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।

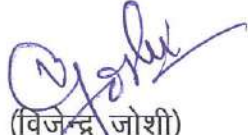

(विजेन्द्र जोशी)
जूनियर इंजीनियर
निर्माण खण्ड
उ०प्र० जल निगम, झाँसी
उ०प्र० जल निगम, झाँसी

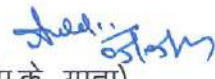

(ए.के. गुप्ता)
अधिशाली अभियंता
निर्माण खण्ड
उ०प्र० जल निगम, झाँसी।
उ०प्र० जल निगम, झाँसी


(वी०के० मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
झाँसी वन प्रभाग, झाँसी

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग उ०प्र० जल निगम झांसी द्वारा नगर पेयजल पुर्नगठन योजना के अन्तर्गत एरच-गुरुसराय-मउरानीपुर राज्य मार्ग संख्या-31 के किमी० संख्या-16 से 27 के मध्य में दांयी पटरी पर, जनपद-झांसी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेयजल पाइप लाइन बिछाने हेतु उ०प्र० जल निगम वचनबद्ध है कि उ०प्र० जल निगम द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ले ली जायेगी।

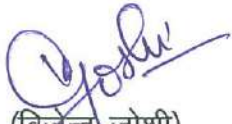

(विजेंद्र जोशी)
जूनियर इंजीनियर
निर्माण खण्ड
उ०प्र० जल निगम, झांसी।
उ०प्र० जल निगम, झांसी

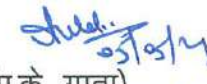

(ए.के. गुप्ता)
अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड
उ०प्र० जल निगम, झांसी।
उ०प्र० जल निगम, झांसी


अमेसित
(वी०के० मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
झांसी वन प्रभाग, झांसी

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग उ०प्र० जल निगम झांसी द्वारा नगर पेयजल पुर्नगठन योजना के अन्तर्गत एरच-गुरुसराय-मउरानीपुर राज्य मार्ग संख्या-31 के किमी० संख्या-16 से 27 के मध्य में दांयी पटरी पर, जनपद-झांसी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेयजल पाइप लाइन बिछाने हेतु उ०प्र० जल निगम वचनबद्ध है कि भूमि का सरफेस राइट (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा।


(विजेन्द्र जोशी)
जूनियर इंजीनियर
निर्माण खण्ड
उ०प्र० जल निगम, झांसी।
उ०प्र० जल निगम, झांसी


(ए.के. गुप्ता)
अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड
उ०प्र० जल निगम, झांसी।
उ०प्र० जल निगम, झांसी

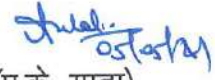

(वी०के० मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
झांसी वन प्रभाग, झांसी

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग उ०प्र० जल निगम झांसी द्वारा नगर पेयजल पुर्नगठन योजना के अन्तर्गत एरच-गुरुसराय-मउरानीपुर राज्य मार्ग संख्या-31 के किमी० संख्या-16 से 27 के मध्य में दांयी पटरी पर, जनपद-झांसी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेयजल पाइप लाइन बिछाने हेतु उ०प्र० जल निगम वचनबद्ध है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकारण की धनराशि रु० 409404.00 ई-चालान द्वारा कैम्पा मद में जमा करा दी गयी है एवं इसका चालान भी संलग्न कर दिया गया है।

क्रम सं०	विवरण/मद	धनराशि (रु०में)	फण्ड ट्रांसफर का प्रकार	दिनांक	यू०टी०आर० नं०
1	2	3	4	5	7
1	शर्त संख्या-9 व 17 के अनुपालन में संरक्षित वनभूमि 0.654 हे० का शुद्ध वर्तमान मूल्य (6.26 लाख प्रति हे० की दर से) / (एन०पी०वी०)	409404.00 रुपये	एन.ई.एफ. टी.	25.03.2021 -	UTIBR5202103 2600364441
	योग-	409404.00 रुपये			


 (विजेन्द्र जोशी)
 जूनियर इंजीनियर
 (विजेन्द्र जोशी)
 निर्माण खण्ड
 जूनियर इंजीनियर
 उ०प्र० जल निगम, झांसी
 उ०प्र० जल निगम, झांसी


 (ए.के. गुप्ता)
 अधिशासी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड
 (ए.के. गुप्ता)
 उ०प्र० जल निगम, झांसी
 निर्माण खण्ड, उ०प्र०
 जल निगम, झांसी


 (वी०के० मिश्र)
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 झांसी वन प्रभाग, झांसी

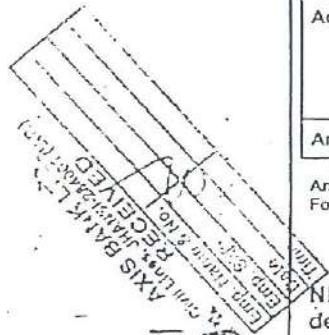
918010044397507

Cheque No 014489

R Date 25/03/2024

UTPR

UTPR 02103260036444



AGENCY COPY

NEFT/RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 18-03-2021

Agency Name.	CONSTRUCTION DIVISION UP JAL NIGAM JHANSI
Application No.	5345140526
MoEF/SG File No.	2672/81-2-2020- 800(121)/2020
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	Office Of Executive Engineer, Construction Division, UP Jal Nigam, Gwallor Road, Jhansi, Jhansi
Amount (in Rs)	409404/-

Amount in Words : Four Lakh Nine Thousand Four Hundred and Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150905345140526 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi - 110003

* This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

अप्रसित

(वी०के० मिश्र)

प्रभागीय वनाधिकारी,
झाँसी वन प्रभाग, झाँसीनिर्माण खण्ड
उ०प्र० जल निगम, झाँसीDivisional Accountant
Construction Division
U.P. Jal Nigam, JHANSI

BANK COPY

NEFT/RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 18-03-2021

Agency Name.	CONSTRUCTION DIVISION UP JAL NIGAM JHANSI
Application No.	5345140526
MoEF/SG File No.	2672/81-2-2020- 800(121)/2020
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	Office Of Executive Engineer, Construction Division, UP Jal Nigam, Gwallor Road, Jhansi Jhansi
Amount (in Rs)	409404/-

Amount in Words : Four Lakh Nine Thousand Four Hundred and Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150905345140526 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi - 110003

* This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

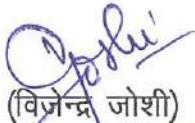
Executive Engineer
Construction Division
U.P. Jal Nigam, JHANSI(ए० के० गुप्ता)
अधीक्षक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, उ०प्र०
जल निगम, झाँसी

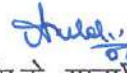
Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग उ०प्र० जल निगम झांसी द्वारा नगर पेयजल पुर्नगठन योजना के अन्तर्गत एरच-गुरुसराय-मउरानीपुर राज्य मार्ग संख्या-31 के किमी० संख्या-16 से 27 के मध्य में दांयी पटरी पर, जनपद-झांसी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेयजल पाइप लाइन बिछाने हेतु उ०प्र० जल निगम वचनबद्ध है कि उ०प्र० जल निगम कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

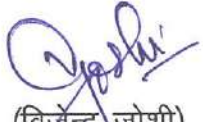

(विजेन्द्र जोशी)
जूनियर इंजीनियर
निर्माण खण्ड
उ०प्र० जल निगम, झांसी

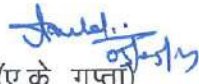

(ए.के. गुप्ता)
अधिशोर्सी अभियन्ता
निर्माण खण्ड
उ०प्र० जल निगम, झांसी


(वी०के० मिश्र)
प्रमारीय वनाधिकारी,
झांसी वन प्रभाग, झांसी

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग उ०प्र० जल निगम झांसी द्वारा नगर पेयजल पुर्नगठन योजना के अन्तर्गत एरच-गुरुसराय-मउरानीपुर राज्य मार्ग संख्या-31 के किमी० संख्या-16 से 27 के मध्य में दांयी पटरी पर, जनपद-झांसी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेयजल पाइप लाइन बिछाने हेतु उ०प्र० जल निगम वचनबद्ध है कि उ०प्र० जल निगम के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स तथा कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है।

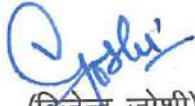

(विजेन्द्र जोशी)
जूनियर इंजीनियर
निर्माण खण्ड
उ०प्र० जल निगम, झांसी।
उ०प्र० जल निगम, झांसी


(ए.के. गुप्ता)
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड
उ०प्र० जल निगम, झांसी।
उ०प्र० जल निगम, झांसी


अनंद कुमार
(वी०के० मिश्र)
प्रभारी वनाधिकारी,
झांसी वन प्रभाग, झांसी

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग उ०प्र० जल निगम झांसी द्वारा नगर पेयजल पुर्नगठन योजना के अन्तर्गत एरच-गुरसराय-मऊरानीपुर राज्य मार्ग संख्या-31 के किमी० संख्या-16 से 27 के मध्य में दांयी पटरी पर, जनपद-झांसी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेयजल पाइप लाइन बिछाने हेतु पर्यावरणीय अनापत्ती अनुमोदन प्रस्तावित परियोजना में लागू नहीं है।


(विजेन्द्र जोशी)
जूनियर इंजीनियर
(विजेन्द्र जोशी)
जूनियर इंजीनियर
उ०प्र० जल निगम, झांसी।
उ०प्र० जल निगम, झांसी


(रमेशचंद्र सिंह)
अधिवक्ता
निर्माण खण्ड
उ०प्र० जल निगम, झांसी।
उ०प्र० जल निगम, झांसी।


(वी०के० सिंह)
प्रभागीय कन्सिपल
झांसी जन प्रशासन, झांसी

15
13

FORM-I

(for plantations on non-forest land and notified as "protected forest" on or after 13th December 1930 and located in villages having no recorded Scheduled Tribe Population as per 2001 and 2011 census)
[Rule 6(3) (e) of Forest (Conservation) Rules 2003 as amended up to date]

Government of Uttar Pradesh

Office of the District Collector, Jhansi, (U.P.)

No. 3407/15-1..... Dated at Jhansi 24.06-2021

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of Rule 6(3)(e) of the Forest (Conservation) Rules, 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014; Forest (Conservation) second Amendment Rules 2014; and Forest (Conservation) Amendment Rules 2016] it is certified that 0.6540 hectares of forest land proposed to be diverted in favoure of Executive Engineer Construction Division UP Jal Nigam, Jhansi (name of user agency) for for laying Drinking Water Pipeline under Jhansi Reorgnaisation water supply at Erach-Gursarai-Mauranipur State Road no-31 for k.m. no-16 to 27 in in Right site. (purpose for diversion of forest land) in the district falls within the jurisdiction of village-Pharida, Chhirauna Khurd, Sutta, Aineri, Madpura, Khadaini, Patha, Alampura and Bargain Ahir in tehsils Garautha, District Jhansi having no recorded population of Scheduled Tribes as per Census of India 2001 and 2011. It is further certified that:

- a) The Protecde Forest (s) namely Erach-Gursarai-Mauranipur State Road no-31 for k.m. no-16 to 27 in Right site involved in the above villages are plantations raised on non-forest land on or after 13th December 1930 and were notified as PF vide notification no(s) 1115/XIV-50, dated 10.02.1960.
- b) Therefore, these PFs neither have residing Scheduled Tribes nor have Other Traditionl Forest Dwellers (residing in the PFs for more than 75 years) having rights recognized under Forest Rights Act, 2006.

Encl. : As above.


(V.K. Mishra)
Divisional Forest Officer
Jhansi Forest Division, Jhansi
(Officer stamp)
प्रभागिय वनाधिकारी
झाँसी वन प्रभाग, झाँसी


(Andra Vamsi)
District Collector झाँसी
Jhansi
(Officer stamp)

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग उ०प्र० जल निगम झांसी द्वारा नगर पेयजल पुर्नगठन योजना के अन्तर्गत एरच-गुरसराय-मऊरानीपुर राज्य मार्ग संख्या-31 के किमी० संख्या-16 से 27 के मध्य में दांयी पटरी पर, जनपद-झांसी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेयजल पाइप लाइन बिछाने हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/ मानचित्र जिसमें वन सीमाओं का विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया है उसे प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है ।



(विजेन्द्र जोशी)

जूनियर इंजीनियर

(विजेन्द्र जोशी)

जूनियर इंजीनियर

उ०प्र० जल निगम, झांसी।

उ०प्र० जल निगम, झांसी



(रणजित सिंह)

अधिसूचना अधिकारी

विभागाध्यक्ष

उ०प्र० जल निगम, झांसी।

उ०प्र० जल निगम, झांसी।

अप्रोसिल

(वी०के० मिश्र)

प्रभागीय वनाधिकारी,

झांसी वन प्रभाग, झांसी।

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग उ०प्र० जल निगम झांसी द्वारा नगर पेयजल पुर्नगठन योजना के अन्तर्गत एरच-गुरसराय-मउरानीपुर राज्य मार्ग संख्या-31 के किमी० संख्या-16 से 27 के मध्य में दांयी पटरी पर, जनपद-झांसी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेयजल पाइप लाइन बिछाने हेतु प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित नहीं है, तो प्रस्तावित परियोजना में मा० उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।


(विजय जोशी)
जूनियर इंजीनियर
निर्माण खण्ड
उ०प्र० जल निगम, झांसी।

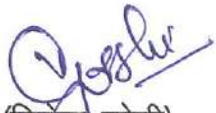

(रमेश सिंह)
अधिसूची अधिकारी
निर्माण खण्ड
उ०प्र० जल निगम, झांसी।

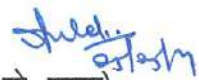
अमेसित

(वी०के० मिश्र)
प्रभागीय कर्मचारी,
झांसी वन प्रभाग, झांसी।

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग उ०प्र० जल निगम झांसी द्वारा नगर पेयजल पुर्नगठन योजना के अन्तर्गत एरच-गुरुसराय-मउरानीपुर राज्य मार्ग संख्या-31 के किमी० संख्या-16 से 27 के मध्य में दांयी पटरी पर, जनपद-झांसी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेयजल पाइप लाइन बिछाने हेतु उ०प्र० जल निगम वचनबद्ध है कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

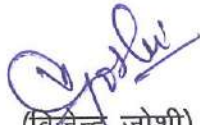

(विजेंद्र जोशी)
जूनियर इंजीनियर
निर्माण खण्ड
उ०प्र० जल निगम, झांसी।
उ०प्र० जल निगम, झांसी


(ए.के. गुप्ता)
अधिशाली अभियन्ता
(निर्माण खण्ड)
उ०प्र० जल निगम, झांसी।
निर्माण खण्ड, उ०प्र०
जल निगम, झांसी


(वी०के० मिश्र)
प्रशासीय वलाधिकारी,
झांसी वन प्रभाग, झांसी

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग उ०प्र० जल निगम झांसी द्वारा नगर पेयजल पुर्नगठन योजना के अन्तर्गत एरच-गुरुसराय-मउरानीपुर राज्य मार्ग संख्या-31 के किमी० संख्या-16 से 27 के मध्य में दांयी पटरी पर, जनपद-झांसी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेयजल पाइप लाइन बिछाने हेतु उ०प्र० जल निगम वचनबद्ध है कि उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा० न्यायलयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन उ०प्र० जल निगम द्वारा किया जायेगा।


(विक्रम जोशी)
जूनियर इंजीनियर
निर्माण खण्ड
उ०प्र० जल निगम, झांसी।
उ०प्र० जल निगम, झांसी


(ए.के. गुप्ता)
अधिशाली अभियंता
निर्माण खण्ड
उ०प्र० जल निगम, झांसी।
उ०प्र० जल निगम, झांसी


(वी०के० मिश्र)
प्रभानीय वनाधिकारी,
झांसी वन प्रभाग, झांसी